न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा कैम्प कोर्ट रामावता

ओमप्रकाश बनाम धन्नीबाई

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

T.J. प्र.सं. 10/2017

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018

12-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रामावता में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी गणेश का प्रस्तुत मूल वाद तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी गणेश का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम रामावता तह. दौसा स्थित वादग्रस्त भूमि ख.नं. 702, 848 रकबा 862 कुल बिघा 16 कुल रकबा 4.00 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमार होने से इसके तथा बाद तामील प्रतिवादी लोक अदालत के एवं मूल वाद के समान है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रामावता के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

12/6/18

सहायक कलक्टर
दौसा